10/12/19

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। इस प्रार्थना-पत्र के मूल वाद सं. 136/19 का मैं दिनांक ~~10/12~~ निर्णय दे चुका हूँ। इसलिए इस प्रार्थना-पत्र का अलग से कोई औचित्य नहीं है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी की जाकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर, बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:17:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner